## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
## (पीठासीन अधिकारी श्री प्रभात त्रिपाठी)

आर.ए.एस.

**प्रकरण सं./राजस्व वाद/25/2022**

1. साक्ष्य जैन पुत्र श्री सुनील कुमार जैन जाति जैन (महाजन) निवासी एस.पी.1, लवकुश नगर–1, टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर

(वादी)

बनाम

1. नन्दकंवर पत्नि स्व. श्री बंशी जाति दमामी निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. शिवराज पुत्र स्व. श्री वंशी जाति दमामी निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. श्रीमान उप पंजीयक महोद, नागोला तहसील भिनाय (अजमेर)

(प्रतिवादीगण)

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. वकील वादी शम्मी मोहम्मद
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 06.07.2022

वादी ने इस वाद प्रत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम राममालिया पटवार हल्का राममालिया तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 245 में दर्ज खसरा नं. 618 रकबा 0.48, 618/2364 रकबा 1.05, 618/2583 रकबा 0.16, 618/2701 रकबा 0.08 किता–4 कुल रकबा 1.77 हैं0 भूमि वादी, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियां है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा हैं तथा अपने इसी हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपनी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहें हैं। वाद वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं.1 व 2 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीसं. 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादी व प्रतिवादी सं.1 व 2 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादी उक्त संयुक्त आराजीयात में हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का विधिवत विभाजन कर अलग–अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। नोटिस तामिली बावजूद प्रतिवादी सं.1 व 2 द्वारा न्यायालय में गैरहाजिर होने के परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध दिनांक 15.06.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने वाद पत्र पर जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक कथन किए कि

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर), राज

Scanned with CamScanner

FORM No. 10

...नगत आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त आराजीयात होना पूर्णतया स्वीकार हैं। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से राजहित प्रभावित नहीं होता हैं अतः वाद पत्र के संदर्भ में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं एवं उक्त आराजीयात में रिकॉर्ड अनुसार दर्ज खातेदारान के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाना न्यायोचित बताया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहन अध्ययन किया जाकर उपस्थित पक्षकारान के कथनों पर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आनुतोष योग्य में न्यायसंगत होना पाया गया।

**–:आदेश:–**

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादी व प्रतिवादी सं.1 व 2 के मध्य ग्राम राममालिया पटवार हल्का राममालिया तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 245 में दर्ज खसरा नं. 618 रकबा 0.48, 618/2364 रकबा 1.05, 618/2583 रकबा 0.16, 618/2701 रकबा 0.08 किता–4 कुल रकबा 1.77 हैं0 भूमि का मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर उपवर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करने की प्रथमिक डिक्री कायम की जाती हैं। यथानुसार तहसीलदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव आगामी पेशी दिनांक तक प्रस्तुत करें।

**निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

# प्रारंभिक डिक्री मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.)

साक्ष्य जैन बनाम नन्द कंवर वगै0

(विस्तृत उनवान पृष्ठ पर दर्ज है)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 25/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अधिवक्ता शम्मी मोहम्मद व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुददई रूबरू ..... मिनजामिन मुददालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दी जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि ग्राम राममालिया जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 245 में दर्ज खसरा नं. 618 रकबा 0.48, 618/2364 रकबा 1.05, 618/2583 रकबा 0.16, 618/2701 रकबा 0.08 किता–4 कुल रकबा 1.77 हैं0 में वादी, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर उनके हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम कर नक्शें में तरमीम बंटवारा प्रस्ताव तलब किए जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

निजी.....X.....मुबलिक.....X.....बाबत्.....X.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.....X..... को अदा करें।

वसूलियाव तक.....X..... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.07.2022 को प्रारंभिक डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.....

ओहदा.....

| मुददई | रूपये | पैसे | मुददायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | – | – | स्टाम्प अर्जी दावा | – | – |
| स्टाम्प वकालत नामा | – | – | स्टाम्प वकालत नामा | – | – |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | – | महन्ताना वकील | – | – |
| महन्ताना वकील | – | – | खर्चा गवाहान | – | – |
| खर्चा गवाहान | – | – | फीस कमीश्नर | – | – |
| फीस कमीश्नर | – | – | बबत् इजराय हुक्मनामा | – | – |
| बबत् इजराय हुक्मनामा | – | – | | | |
| मुतफरिक | – | – | मुतफरिक | – | – |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

# अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.)

साक्ष्य जैन बनाम नन्द कंवर वगै0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 25/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.) व अधिवक्ता शम्मी मोहम्मद व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू .....मिनजामिन मुछ्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि पुस्त पृष्ठ पर विवादित आराजी के विभाजनानुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

निजी.....X.....मुबलिक.....X.....बाबत्.....X.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.....X..... को अदा करें।

वसूलियाव तक.....X..... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.11.2022 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.....

ओहदा.....

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | — | — | स्टाम्प अर्जी दावा | — | — |
| स्टाम्प वकालत नामा | — | — | स्टाम्प वकालत नामा | — | — |
| स्टाम्प वजह सबूत | — | — | महन्ताना वकील | — | — |
| महन्ताना वकील | — | — | खर्चा गवाहान | — | — |
| खर्चा गवाहान | — | — | फीस कमीश्नर | — | — |
| फीस कमीश्नर | — | — | बबत् इजराय हुक्मनामा | — | — |
| बबत् इजराय हुक्मनामा | — | — | | | |
| मुतफरिक | — | — | मुतफरिक | — | — |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

बंटवारा प्रस्ताव देखे गए उभयपक्षान को कोई अपात्ति नहीं अतः प्रस्ताव स्वीकार [illegible] है तथा कुल लगान रू. 8.85/- का 15 गुणा 132.75/- पर वाद पर डिक्री निम्न [illegible] पारित की जाती है।

| साक्ष्य जैन पुत्र सुनील कुमार जैन जाति जैन निवासी एस.पी.1, लवकुश नगर 1, टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर खातेदार | | | नन्द कंवर पत्नि स्व. बंशी जाति दमामी हिस्सा 1/2 शिवराज पुत्र बंशीजाति दमामी हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार | | |
|---|---|---|---|---|---|
| खसरा नं. | रकबा | किस्म | खसरा नं. | रकबा | किस्म |
| 618/2364 | 0.5650 | बारानी-1 | 618/2364/1 | 0.4850 | बारानी-1 |
| 618/2583 | 0.16 | बारानी-1 | 618/1 | 0.40 | बारानी-1 |
| 618/2701 | 0.08 | बारानी-1 | | | |
| 618 | 0.08 | बारानी-1 | | | |
| किता-4 | 0.885 | | किता-2 | 0.885 | |
| लगान रू. 4.425/- | | | लगान रू. 4.425/- | | |

तहसीलदार भिनाय यथा डिक्री अमल दरामद करावें।

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner